उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या202/2018/3033/26-3-2018
लखनऊ: दिनांक: 25 सितम्बर 2018

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-178/2018/2663/26-3-2018,दिनांक-21.08.2018 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-02-796-01-0104- संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु मॉडल विद्यालय-24- वृहद निर्माण कार्य मद में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सोनहा खीरी में स्पोर्ट आइटम एवं जिम इक्यूपमेन्ट हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु देय अवशेष धनराशि रू0-7.59 लाख (रू0-सात लाख उनसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-02-796-01-0104-संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु मॉडल विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य मद में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा खीरी में स्पोर्ट आइटम एवं जिम इक्यूपमेन्ट हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु देय अवशेष धनराशि रू0-7.59 लाख (रू0-सात लाख उनसठ हजार मात्र) राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं'', के स्थान पर '' धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये स्वीकृत धनराशि ''उ0प्र0 अनुसूचित जनजाति शैक्षिक एवं आर्थिक विकास समिति'' के नाम लखनऊ में राष्ट्रीकृत बैंक में खुले खाते में जमा करने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं'', संशोधित किया जाता है। शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे।

सतीश कुमार
अनु सचिव

संख्या-202/2018/3033(1)/26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
3-अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5-जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
6-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7-निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।